फर्द अहकाम

सुरेश बनाम राज. सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रकरण संख्या .....|2..7/2025 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

जीसीएमएस संख्याः 2025/355

क. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टिप्पणी
	17/03/26	वकुलाये फरीकेन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 19/03/26 को पेश हो	
	19.3.26	वकुलाये फरीकेन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 24.3.26 को पेश हो	
	24/3/26	पत्रावली पेश। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत F.I.R. के वर्णित तथ्यों को देखते हुए F.I. जारी करने हेतु निवेदन किया बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के कथनों पक्ष से कोई ऐसा तथ्य या बिन्दु नहीं बताया जिससे F.I. जारी किया जाना प्रस्तावित हो। प्रार्थी के वास्ते नहीं किसी के वास्ते F.I. बेदखल ना करने का अनुतोष चाहा। जो कि प्रार्थिक एवं आवश्यकता वाले का अनुतोष है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना प्रस्तावित है क्योंकि ना ही मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है, ना ही प्रार्थी को कोई क्षति होने का अंदेशा है तथा नहीं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है अतः उ० प्र० F.I. प्रस्तावित में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो बाद डिक्री प्रस्तुत हो।	

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)